भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 489

उत्तर देने की तारीख 28.11.2024

तेलंगाना के स्वयं सहायता समूहों के बारे में

489 डॉ. कडियम काव्य :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार ने तेलंगाना में वन-धन योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को शामिल करते हुए वन धन केंद्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) : क्या इस योजना के लिए कोई दिशा – निर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कौन-कौन से जिले चुने गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) तथा (ख): प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना के अंतर्गत, मंत्रालय भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ (ट्राइफेड) के माध्यम से सामान्यतः जनजातीय समुदायों के लिए वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों या उसकी कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान सहायता प्रदान करता है। एक वन धन विकास केंद्र 15 जनजातीय स्वयं सहायता समूहों का समूह होता है, प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः जनजातीय समुदायों के लगभग 20 सदस्य होते हैं। ये वन धन विकास केंद्र लघु वनोपज (एमएफपी) और गैर-एमएफपी के मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं, जिससे संबद्ध लाभार्थियों की आय में वृद्धि होती है। मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए वीडीवीके स्थापित करने हेतु अनुदान सहायता भी प्रदान करता है। तेलंगाना में पीएमजेवीएम योजना के अंतर्गत 17 वीडीवीके स्वीकृत किए गए हैं; जबकि पीएम-जनमन के अंतर्गत 25 वीडीवीके स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 83 स्वयं सहायता समूह शामिल हैं।

(ग): पीएमजेवीएम और पीएम जनमन के दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट https://tribal.nic.in/downloads/Livelihood/Guidelines/PMJVMGuidelines.pdf और https://adiprasaran.tribal.gov.in/pm-janman/janman_Download/PM-JANMAN-Operatioएनएl%20Guidelines.pdf पर क्रमशः देखे जा सकते हैं।

पीएमजेवीएम और पीएम जनमन योजनाओं के अंतर्गत वीडीवीके का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण नीचे दिया गया है:

(01.11.2024 तक)

क्रम सं.	राज्य	पीएमजेवीएम	पीएम जनमन
		स्वीकृत वीडीवीके की कुल संख्या	स्वीकृत वीडीवीके की कुल संख्या
1	अंडमान और निकोबार	एनए	1
2	आंध्र प्रदेश	415	73
3	अरुणाचल प्रदेश	106	एनए*
4	असम	471	एनए
5	छत्तीसगढ़	139	16
6	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	एनए
7	गोवा	10	एनए
8	गुजरात	200	21
9	हिमाचल प्रदेश	4	एनए
10	जम्मू और कश्मीर	100	एनए
11	लद्दाख	10	एनए
12	झारखंड	146	35
13	कर्नाटक	140	32
14	केरल	44	5
15	मध्य प्रदेश	126	83
16	महाराष्ट्र	264	40
17	मणिपुर	200	2
18	मेघालय	169	0
19	मिजोरम	259	0
20	नागालैंड	284	0
21	ओडिशा	170	43
22	राजस्थान	479	50
23	सिक्किम	80	0
24	तमिलनाडु	8	37
25	तेलंगाना	17	25
26	त्रिपुरा	57	30
27	उत्तर प्रदेश	25	5
28	उत्तराखंड	12	5
29	पश्चिम बंगाल	22	0
कुल		**3958**	**503**

* एनए: लागू नहीं

*****